हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नूंह के लिये विकास परियोजनाओं की घोषणा की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री **मनोहर लाल खट्टर ने नूंह ज़िले के लिये लगभग 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं** की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि **"आधुनिक शिक्षा अपनाने वाले"** सभी गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने पर वित्तीय सहायता मिलेगी।
  - हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का विकल्प चुनने वाले गुरुकुलों और मदरसों को 50-80 बच्चों के लिये प्रति वर्ष 2 लाख रुपए, 81-100 बच्चों के लिये 3 लाख रुपए, 101-200 बच्चों के लिये 5 लाख रुपए तथा 200 से अधिक नामांकन के लिये 7 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।
- नूंह में **शहीद राजा हसन खान मेवाती** के सम्मान में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान यह घोषणा की गई।
  - उन्होंने शहीद राजा हसन खान के शहादत दिवस पर गवर्नमेंट कॉलेज नगीना में उनकी 15 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण भी किया।
- मुख्यमंत्री ने वस्तुतः **हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN)** के तहत शिक्षण पदों के लिये 1,504 स्थानीय युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव दिये।
- उन्होंने विकास परियोजनाओं की देखरेख के लिये पूर्व विधायक और राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में शहीद हसन खान मेवाती के नाम पर पाँच सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की।

राजा हसन खान मेवाती

- यह मेवात का **मुस्लिम खानजादा राजपूत शासक** था।
- पिछले शासक **राजा अलावल खान के पुत्र**, उनके वंश ने लगभग 200 वर्षों तक मेवात राज्य पर शासन किया था।
- यह **राजा नाहर खान मेवाती के वंशज थे, जो 14वीं शताब्दी में मेवात के वली थे।**

हरियाणा कौशल रोज़गार निगम लिमिटेड

- इसे **13 अक्तूबर, 2021** को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है।
- इसकी स्थापना हरियाणा में सभी सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, मज़बूत और न्यायसंगत तरीके से संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
- यह हरियाणा में **संविदात्मक जनशक्ति** प्रदान करने के लिये अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- हरियाणा कौशल रोज़गार निगम, संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में, निम्नलिखित
- ध्यान केंद्रित करेगा:
  - सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों का उत्थान करना
  - तैनात जनशक्ति को वेतन और लाभ के समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करना
  - राज्य आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करना

सेंट्रल वक्फ काउंसिल

- यह **वक्फ अधिनियम, 1995 की एक उपधारा, वक्फ अधिनियम** के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक **भारतीय वैधानिक निकाय** है।
- इसकी स्थापना **राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज** और देश में वक्फों के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी।
- वक्फ परोपकारियों द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल या अचल संपत्तियों का एक स्थायी समर्पण है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-cm-announces-development-project-for-nuh